न्यायालय: अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट नं०–6/ विशेष न्यायाधीश (यू०पी० गैगेस्टर एक्ट), लखीमपुर–खीरी।
उपस्थित: अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–37/2026
कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या–1978/2026
CNR UPLP01–004521–2026

बब्लू उर्फ जयकुमार उर्फ बलल्ले पुत्र अशर्फीलाल निवासी ग्राम गौरिया, थाना फरधान जिला खीरी।
---- अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य ----- अभियोगी।

मु०अ०सं०–191/2026
अं०धारा–2(ख)(1)/3 उ०प्र०गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)अधिनियम 1986
थाना–नीमगांव, जनपद–लखीमपुर खीरी।

दिनांक 11–06–2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/ अभियुक्त बब्लू उर्फ जयकुमार उर्फ बलल्ले की ओर से म०अ०सं०–191/2026 अं०धारा–2(ख)(1)/3 उ०प्र०गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना–पड्डुआ, जनपद–खीरी के मामले में प्रस्तुत किया गाया हैं। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र संलग्न है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र प्रथम है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ या अन्य किसी सत्र न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमें में झूठा व रंजिशन फसाया गया है। प्रार्थी ने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा वह सर्वथा निर्दोष है। प्रार्थी/ अभियुक्त की समाज विरोधी कोई भी गतिविधियां नहीं है तथा स्थानीय पुलिस द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध मनगढन्त एवं झूठे तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कारायी गयी, जो भ्रामक एवं असत्य है। प्रार्थी/ अभियुक्त किसी भी संगठित गिरोह का सदस्य नहीं है और न ही प्रार्थी/ अभियुक्त ने कोई अपराध किया है, बल्कि उसके विरूद्ध जो आरोप लगाये गये है, वह गलत एवं असत्य है। प्रार्थी/ अभियुक्त के साथ जिन अन्य व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया है, उनसे प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रार्थी/ अभियुक्त पूर्व का सजायाफ्ता नहीं है। प्रार्थी/ अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है तथा मिली जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगा तथा प्रार्थी/ अभियुक्त बराबर हजिर अदालत आकर वाद के निस्तारण में सहयोग करेगा। हाजिर रहेगा। अतः प्रार्थी/ अभियुक्त को दौरान मुकदमा उचित जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजन (गैंगेस्टर एक्ट) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए उक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गयी।

संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, दिनांक 27.05.2026 को थानाध्यक्ष प्रवीर कुमार गौतम मय हमराह का मोनू कुमार, का प्रमोद कुमार मय सरकारी वाहन UP 31 G 0583 चालक का रोहित कुमार के रवानाशुदा रो०आम तारीकी इमरोजा से बाद देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन पेण्डिंग विवेचना जांच अहकामात तलाश वांछित वारण्टी रोकने जुर्म जरायम में क्षेत्र में मामूर था कि जनता के विश्वसनीय लोगो से ज्ञात हुआ कि गैंगलीडर तैय्यब खां का एक संगठित गिरोह है, जो अपने गैंग के सक्रिय सदस्यों हसरत अली उर्फ छोटा तालिब, राजू उर्फ हासिम उर्फ मामा, सलमान, गोपाल वर्मा, मुहीब, फिरोज उर्फ अशरफ, प्रदीप उर्फ इक्का व बबलू उर्फ जयकुमार उर्फ बलल्ले के साथ मिलकर लूट डकैती नकबजनी कर मारपीट करने व जान माल की धमकी जैसे अपराध कारित करने में लगातार सन्लिप्त रहते है। ये गैंग लीडर

अपने गैंग उक्त सदस्यों का गिरोह बनाकर अपने तथा परिवार एवं सदस्यों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए लूट डकैती नकबजनी कर मारपीट करने व जान माल की धमकी जैसे जघन्य अपराध करने के दुष्साहसिक अभ्यस्त अपराधी है। इस गैंग का समाज में इतना भय व आतंक व्याप्त है कि इनके विरुद्ध जनता का कोई भी व्यक्ति प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने व अदालत में गवाही देने का साहस नहीं कर पाता है। इनका समाज में स्वच्छन्द रहना आम जनमानस के लिए जनहित में उचित नहीं है। इस गिरोह के अपराधिक कृत्यों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द व समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 2(ख) (1)/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजन (गैंगेस्टर एक्ट) के तर्कों को सुना तथा सुसंगत अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा–19(4) में यह प्रावधान किया गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी उस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन दण्डनीय अपराध से आरोपित किसी व्यक्ति को यदि व अभिरक्षा में है, जमानत पर या उसके अपने बन्ध पत्र पर तब तक छोड़ा नहीं जायेगा, जब तक कि–

(क) लोक अभियोजन को ऐसे छोड़े जाने की आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया जाता है।

(ख) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां न्यायालय का समाधान न हो जाए कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहते समय उसके द्वारा कोई अपराध करने की सम्भावना नहीं है।

उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गत जमानत की शर्त है कि ऐसे आधार हो कि जिसके द्वारा प्रथमतः यह विश्वास किया जा सके कि अभियुक्त ने उस प्रकार का अपराध कारित नहीं किया है तथा दूसरा यह कि यदि वह जमानत पर छोड़ा जाए तो ऐसी कोई सम्भावना नहीं है कि वह पुनः अपराध कारित करेगा।

प्रार्थी/ अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का उल्लेख करते हुए प्रार्थी/ अभियुक्त को झूठा फंसाया जाना कहा गया है। अभियोजन का कहना है कि प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित किया गया है, वह गैंग का सक्रिय सदस्य है तथा अपने गैंग के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ हेतु लूट डकैती, नकबजनी कर मारपीट करने व जान माल की धमकी जैसे जघन्य अपराध कारित करता हैं। अभियोजन प्रपत्रों व केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/ अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। अभियोजन कथानक तथा गैंगचार्ट के अनुसार, प्रार्थी/ अभियुक्त सुसंगठित गिरोह का सदस्य है। अभियोजन कथानक व गैंग चार्ट के अनुसार अभियुक्त बब्लू उर्फ जयकुमार उर्फ बलल्ले के विरूद्ध मु०अ०सं०–231/2025 धारा–331(4), 305(a), 317(2) बी०एन०एस० थाना नीमगांव, जनपद खीरी का मामला पंजीकृत है तथा अभियोजन के कथनानुसार ऐसे मामले में आरोप पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है। उक्त अपराध गंभीर प्रकृति का व समाज विरोधी है।

अतएव उपरोक्त प्रावधानों तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त वर्णित आधार इस मामले में दर्शित नहीं होते है। प्रार्थी/ अभियुक्त को जमानत पर निर्मुक्त करने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त बब्लू उर्फ जयकुमार उर्फ बलल्ले द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है। कार्यालय जमानत आदेश की एक प्रति अभियुक्त या उनके विद्वान अधिवक्ता को निःशुल्क प्रदान करें।

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–6,
लखीमपुर–खीरी।
JO CODE–UP1561

दिनांक: 11.06.2026

Digitally signed by ABHISHEK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.06.11 17:17:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court